National Research Journal of Social Sciences
Volume-11, Issue-1, January-June 2026
PP: 271-278
ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधक सामाजिक कारण

डॉ. अनिल कुमार काठले

व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. केसदा वि.खं.–सिमगा,जिला–बलौदाबाजार छ.ग.

डॉ. नवोदिता टोप्पो

अतिथि व्याख्याता, शा.दू. ब. महिला महाविद्यालय रायपुर

सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक का लक्ष्य ''सभी के लिए शिक्षा की प्राप्ति तभी संभव होगी जब 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्यतः सुनिश्चित करायी जावें।

प्रकृति से संघर्ष करके जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाली नारी का मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुस्मृति में कहा गया है कि[1]

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।''

सुव्यवस्थित परिवारिक व सामाजिक संरचना में सुशिक्षित परिश्रमी ममतामयी नारी का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त महिलाओं के योगदान को भुलाया नही जा सकता। फिर भी महिलाओं के अच्छी मन स्थिति नहीं बना पाया। जो अत्यंत विचारणीय है। शैक्षिक इतिहास को देखने से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। साहित्य में मूर्धन्य कवियों ने नारी के संबंध में कहा गया व्यक्तव्य भी समाज में नारी के लिए अच्छा संदेश नही पहुँचा है।

''नारी तो हम भी करी, जाना नाहि विचार।
जब जाना तब परिहरि, नारी बड़ा विकार।।
काम, क्रोध लोभादि, मद प्रबल मोह की धार।
तिन, मह अति दारूण दुःखत माया रूपी नार।।

कबीर

ढोर, गवार, शुद्र, पशु, नारी।
ये सब तारण के अधिकारी।।

तुलसीदास

''स्त्री पुगवत गृहस्त नाशः।''

कालिदास

मध्यकालीन सभ्यता ने भारतीय नारियों को सामाजिक मान्यताओं के अन्तर्गत जकड़ने हेतु विवश किया। मुस्लिम शासकों की स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति ने भारतीय नारी को घर की चहार दिवारी में बंद होने के लिए बाध्य किया। पर्दा प्रथा इस काल का अभिशाप था। जिसने स्त्री शिक्षा की प्रगति में अवरोध उत्पन्न किया। गरियाबंद जिले में कई सामाजिक समस्याओं का प्रभाव दिखा, जो महिला शिक्षा के मार्ग में रूकावट पैदा किया।

- **<u>छुआ–छूत की समस्या :–</u>**

भारत को आजाद हुए आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके है, देश में चारो तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। संविधान में लिखित सामाजिक न्याय की अवधारणा अभी तक पूर्ण नही हुआ है। समाज में कही न कही आज भी छुआ–छूत जैसे सामाजिक समस्या बनी हुई है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

जब मैं क्षेत्रभ्रमण हेतु छुरा विकासखण्ड की अंतर्गत ग्राम पोड़ गया तो वहाँ बेलदार समाज की महिला अंशिया से मुलाकात किया। ये लोग पूरे परिवार के साथ पत्थरों पर नक्काशी करके घरेलू समान की चीजे बनाती है जैसे सील, लोड़हा (सिलबट्टा), चक्की (जांता) इत्यादि। इस कार्य से जो पैसा आता है उसमें घर की खर्च चलती है। आय के कोई और अन्य स्रोत नहीं है श्रीमती अंशिया ने बताई कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व छूआ–छूत जैसी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, परन्तु वर्तमान में नही है। इसकी शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गयी थी।[2]

श्री लिंगराज कश्यप जी जो ग्राम सागोनबाड़ी पोस्ट खोकसरा का निवासी है उनका भी कहना है कि 5 से 10 वर्ष पहले गांव में छुआ–छूत जैसी समाजिक समस्या थी। तथा अपने गांव में शिक्षित लोगो की संख्या कम बताई।[3] डूमरबहल निवासी श्रीमती कल्पना प्रधान व लाटापारा निवासी देवकी नेताम ने भी अपने परिवार को छुआछूत से पीड़ित बताई है।[4]

ग्राम उदन्ती (इन्दागांव) की रहने वाली श्रीमती इन्द्राणी शर्मा जी का कहना है कि इस क्षेत्र में छुआ–छूत की भावना अभी भी है। जब सामाजिक खान–पान में किसी अन्य समाज के लोगो को बुलाते है तो खाना दूर से परोसते है। रसोई के पास जाने नही देते।[5] इसी क्षेत्र में इन्द्रागांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए खाना बनाने का काम सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के महिलाएं करती है। तो उच्च वर्ग की महिलाएं व उनके बच्चे आंगन बाड़ी की खाना खाने में कतराते है।[6]

देवभोग क्षेत्र के अंतर्गत गांव सीनापाली (आंगनबाड़ी क्रमांक–3) में रसोइया गांडा समाज की है तो उच्च वर्ग के बच्चे स्कूल की मध्यान्ह भोजन करने से मना कर दिया था। इन नौनिहाल बच्चो को छुआ–छूत के बारे में क्या पता होगा। जब तक उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस प्रकार की बाते न होती हो।[7]

उपरोक्त साक्षात्कारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है। यहां शिक्षा की कमी है जो बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधा पहुँचा रही है।

- **बाल विवाह की समस्या :–**

स्मृति काल बाल विवाह के पक्षधर थे कम उम्र में बेटियों की विवाह कर देना माता–पिता अपने धार्मिक कर्त्तव्य समझते थे। इस प्रकार लड़कियां शिक्षा से वंचित होती गई, तथा महिलाएं अपना सर्वांगीण विकास नही कर सके।[8]

गरियाबंद जिले में मैने पाया कि, लगभग 50–55 महिलाओं की शादी 14–15 वर्ष में हुई है। सन् 2000 के पहले बाल–विवाह के मामला बहुतायात देखा गया। श्रीमती विभा अवस्थी ग्राम अमलीपदर की रहने वाली है। ये पेशे से वकील है। इनका कहना है कि गरियाबंद जिले में आज से 15 वर्ष पूर्व बाल विवाह की समस्या ज्यादा थी। दर्जनो केश बाल–विवाह की देखी है वर्तमान में बाल विवाह की घटना बहुत ही कम हो गयी है।[9]

- **पेय–जल की समस्या :–**

गरियाबंद जिले के सीमांत क्षेत्र देवभोग में लगभग 5 कि.मी. दूरी पर तेल नदी है। और तेल नदी के उस पार 36 गांव आते है। इन गांवो में लगभग 12–15 गांवों में पेय जल की समस्या है। ग्राम सुपेबेड़ा के पंचायत सचिव ने बताया कि यहां कि पानी (भूमिगत जल) में भारी तत्वो की मात्रा अधिक है जिसके पीने से कीडनी प्रभावित हो रही है। लगभग 92 लोगो की मौत हो चुकी है।[10] शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दिया गया है फिर भी पेय जल की समस्या नही सुधी है। राज्यपाल महामहिम अनुसुइया उइके भी सुपेबेड़ा आई थी। शीघ्र ही तेलनदी की पानी घरो में सप्लाई की बात कही आज भी नही हुआ है। देवभोग जाने के लिए नदी में पुल बनाने को है वह आज भी अधूरा है। इन सभी समस्याओं के कारण कोई अन्य गांव के लोग इस गांव में रोटी–बेटी का संबंध नही रखना चाहते। ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। गांव के बेटी ही गांव की बहु बन रही है। 2–3 गांव में ही रोटी–बेटी का संबंध बनाने के लिए मजबूर है। कोई अन्य गांव की लड़की इस गावं में शादी हो के नही आना चाहते। साथ ही थोड़ा शिक्षित व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति इस गांव से पलायन कर रहे है। सरकारी–कर्मचारी इस क्षेत्र में आना नही चाहते।[11]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

पेय जल की समस्या से जुझ रही गांवो में सुपेबेड़ा, परेवापाली, निष्टीगुड़ा, दीवानमुड़ा, सेन्दमुड़ा आदि गांव है।

- **एकल शिक्षकीय स्कूल :–**

एकल शिक्षकीय होना शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिले में बहुत से विद्यालय एकल शिक्षकीय है। सर्वाधिक एकल शिक्षकीय विद्यालय मैनपुर विकासखण्ड में है। जरा सोच के देखे प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षा होती है और वहाँ एक शिक्षक पदस्थ हो ऊपर से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, यू–डाइस भरना, विभिन्न प्रकार के समय–समय पर प्रतिवेदन तैयार करना दाखिल–खारिज पंजी, स्थानांतरण पंजी, विभिन्न प्रकार के ऑनलाईन वर्क आदि ये काम पहले करना होता है फिर अध्यापन कार्य, सिर्फ पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। इस प्रकार की पढ़ाई में क्या गुणवत्ता होगी, हम समझ सकते है?

स्कूलों में पढ़ाई की कोई गुणवत्ता नही होने के कारण पालक उन्हें नीजि स्कूल में दाखिला करवा देता है। या पढ़ाई छोड़ दिया जाता है। जिससे ड्राप आउट के संख्या बढ़ जाती है। सन् 2011 में 30833 बालिकाएं स्कूलों में पंजीकृत हुइ थी। जिसमें से 726 आउट आफ स्कूल के रूप में पहचान की गई थी।[12]

माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगा तो छ.ग. में 5484 स्कूल एकल शिक्षकीय व 297 स्कूल शिक्षक विहीन पाया गया। गरियाबंद जिले में 204 स्कूल एकल शिक्षकीय व 13 स्कूल शिक्षक विहीन है।[13] जिले में एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन स्कूल की जानकारी सारणी 1.1 में दिया गया है।

सारणी– 1.1 डीपीआई द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया रिपोर्ट

क्रं.	जिला	एकल शिक्षकीय	शिक्षक विहीन
1	बस्तर	428	54
2	कोण्डागांव	417	54
3	सुकमा	306	34
4	कोरबा	341	27
5	बलरामपुर	298	32
6	कांकेर	268	19
7	रायगढ़	266	04
8	महासमुंद	231	12
9	**गरियाबंद**	**204**	**13**
10	अन्य	2725	48
कुल योग		5484	297

स्रोत :–लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर

- **महिला महाविद्यालय का अभाव :–**

गरियाबंद जिला को अस्तित्व में आये आज 14 वर्ष पूर्ण हो गये है। लेकिन जिला में एक भी उच्च शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण जिले की बेटियों को 90–230 किमी. दूरी पार करके रायपुर जाना होता है। कई बालिकाओं की स्कूली शिक्षा के बाद या मध्य में शादी हो जाती हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है।[14]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

- **कन्या स्कूल की कमी :–**

जिले में कन्या स्कूलों की कमी है। विकासखण्ड स्तर पर एक ही कन्या स्कूल खोले गये है। सन् 2011 में 30833 बालिका स्कूलों में पंजीकृत हुई है। पांच विकासखंड में पांच कन्या स्कूल है मानलो एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी पंजीकृत हुई है तो कुल 2500 से 3000 विद्यार्थी लाभांवित होगें, जो कि बहुत कम है।[15]

अतः कन्या स्कूल और खोलने की आवश्यकता है जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। 100 सीटर जिले में तीन कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (देवभोग, गरियाबंद, मैनपुर) में संचालित है।

- **बोली/भाषा की समस्या :–** यह समस्या जिले की देवभोग व मैनपुर विकासखण्ड में है जहां ज्यादातर जनसंख्या ओडिसा भाषा बोलते है। 1961 की जनगणना के अनुसार जिला की कुल 8.83 प्रतिशत लोग उड़िया बोलते है। आज भी इस क्षेत्र में उड़िया ही बोली जाती है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक मध्य छत्तीसगढ़ (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग क्षेत्र की) अधिकतर है। ऐसे में प्राथमिक स्तर के बच्चों के साथ भाषागत समस्या अधिक होती है।[16] **सारणी– 1.2 प्रमुख भाषा एवं बोली 1961**

क्रं.	मातृभाषा	बोलने वालो की संख्या	प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़ी	1082479	54.06
2	हिन्दी	633136	31.62
3	**उड़िया**	**176867**	**8.83**
4	सिंधि	19915	0.99
5	उर्दू	17507	0.95
6	मराठी	15539	0.78
7	**कमारी**	**10329**	**0.52**
8	गुजराती	8045	0.40
9	पंजाबी	5554	0.28
10	मारवाड़ी	5471	0.27

स्रोत :– रायपुर जिला गजेटियर 1973 पृष्ठ–54

वर्तमान में नयी शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। जिससे भाषागत समस्या दूर होगी। जबकि जिला में उड़िया व कमारी विद्यालय नही है ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षको को रखना होगा।[17]

- **नक्सली समस्या :–**

गरियाबंद जिले नक्सली वारदात होने के कारण अति संवेदनशील जिले में सम्मिलित है। राज्य के कुल 27 जिलो में से 14 जिले नक्सल प्रभावित जिले है।[18] इसमें गरियाबंद विकासखण्ड में कई घटनाएं हो चुकी है। आज से दो दशक पूर्व मैनपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत आमामोरा गांव में नक्सली वारदात हुई थी।

पिछले वर्ष नवम्बर 2023 में विधानसभा चुनाव के द्वारा नक्सलियों ने धमाका किया था। जिसमें आईटीबीपी के जवान जोगिन्दर सिंह (उम्र 45) शहीद हो गया था। ये कश्मीर का जवान था पोलिंग पार्टी वापसी के दौरान नक्सलियों ने हमला किया था।[19] यह घटना मैनपुर के बड़े गोबरा में हुआ था।

इस वर्ष जनवरी 2024 में पुलिस को भालूडीगी के नजदीक मटाल पहाड़ी के पास नक्सली कैंप को ध्वस्त करने में सफलता मिली है। गरियाबंद एस.पी. अमित तुकाराम काम्बले ने बताया कि सीआरपीएफ कमाण्डेड वी.के. सिंह के नेतृत्व में कुल्हाड़ी घाट कैम्प से 15 कि.मी. ऊपर पहाड़ी में जवान सीधी मुकाबला के लिए पहुंच गये। वहां मौजूद 25–30 नक्सली जवानो से बिना मुकाबले किए भाग गये।[20]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

नक्सली समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने आत्म समर्पण की नीति लाई है। आत्मसमर्पण करने वालो नक्सलियों को रोजगार भी दे रहे है। नक्सल पीड़ित परिवारों के घर चलाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ली है। नक्सली पीड़ित परिवारों की बच्चो के लिए सरकार ने आस्था, निष्ठा एवं प्रयास विद्यालय खोले गये है।

- **अंधविश्वास :–**

जिले में अधिकांश लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते है। यद्यपि ऐसे विश्वास सुदुर गांवों में अधिक प्रचलित है। चौथे दशक तक यह जिला जादू–टोना के लिए कुख्यात था। सांस्कृतिक सम्पर्क तथा शिक्षा में प्रगति के कारण जादू–टोने में विश्वास थोड़ा कम हो गया है।

ग्रामीणों में ऐसा विश्वास है कि असामयिक मृत्यु, जलने, डूबने वाले पुरूष प्रेत बन जाते है। असामयिक मृत्यु से मरने वाली स्त्री प्रेतिन बन जाती है। प्रसव के दौरान मरने वाली स्त्री चुड़ैल बन जाती है। लोग काले जादू या टोने में भी विश्वास करते है। विगत समय में छत्तीसगढ़ में बहुत सी महिलायें 'टोहनी' होते थे। ये टोनही हैजा व चेचक फैलाने के लिए उत्तरदायी माने जाते थे।[21]

इस प्रकार के अंधविश्वास पर छत्तीसगढ़ के जनजीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। अभी वर्तमान में 02 सितम्बर 2024 को बलौदाबाजार के छरछेद गांव में टोनही के शक में एक ही परिवार के चार लोगों को मार डाला। तथा सुकमा जिले में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गयी। यह घटना 17 सितम्बर 2024 पुलिस थाना कोण्टा की है।[22]

सरकार ने छ.ग. में टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 लागू की है। इस अधिनियम में किसी महिला को टोनही कहने पर बिना जमानत के गिरफ्तार कर लिया जाता है।[23]

- **आपराधिक घटनाएँ :–**

गरियाबंद जिला मुख्यतः आदिवासियों की बहुलता वाला जिला है। यहाँ 36 प्रतिशत आदिवासी व 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करते है। इनके स्वभाव सरल में सहज होते है। फिर भी जिले में आपराधिक घटनाएँ हो रहे है। पुलिस अधीक्षक गरियाबंद तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश के रिपोर्ट के आधार पर 31 दिसम्बर 2021–212 की स्थिति में हत्या की मामला 17, लूटपाट की मामला 3, अपहरण की मामला 21, हत्या के प्रयास 16, चोरी के 72 तथा बलात्कार के 57 मामले दर्ज किये है। विविध में 562 तथा अन्य मामलो में 1123 मिलाकर कुल 1940 आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।[24]

सारणी – 1.3 31 दिसम्बर 2021–22 की स्थिति में गरियाबंद

क्रं.	मामला	संख्या
1	हत्या	17
2	हत्या के प्रयास	16
3	डकैती	0
4	डकैती के प्रयास	0
5	लूटपाट	3
6	अपहरण	21
7	गृह भेदन	69
8	चोरी	72
9	चोरी (पशु)	0

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

10	दंगा	0
11	बलात्कार	57
12	विविध	562
13	अन्य	1123
कुल		**1940**

स्रोत :– जिला सांख्यिकी पुस्तिका गरियाबंद 2021–22

- **<u>जनसंख्या विस्फोट :–</u>**

जनसंख्या विस्फोट भी शिक्षा के मार्ग में रूकावट होती है। जिला गरियाबंद की लिंगानुपात 1000 पुरूषों में 1020 महिलाएं है। बालिकाओं की संख्या अधिक है पुत्र प्राप्ति की चाह में दो से अधिक बच्चे पैदा कर रहे है। जिससे जनसंख्या विस्फोट की समस्या बनी हुई है। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर 17.30% है अर्थात् 50–55 वर्षो में जनसंख्या दोगुनी हो जायेगी।[25]

ज्यादा बच्चे होने पर परिवार चलाने के लिए विभिन्न प्रकारके आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

- **छात्रावास की कमी :–**

गरियाबंद जिले में प्राथमिक स्तर में 31850 बालिका पंजीकृत है, पूर्व माध्यमिक स्तर में 19209 बालिका पंजीकृत थी। यह आंकड़ा 2013–14 की है। 2019–20 में घटकर प्राथमिक स्तर में 29403 तथा पूर्व माध्यमिक स्तर में 17097 हो गये। छात्रावास न होने के कारण व नीजि स्कूल खुलने के कारण बालिकाओं की संख्या में कमी हो रही है।[26]

जिले के कई गांव में अभी तक सड़क नहीं है जिससे बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती है। मैनपुर विकासखण्ड के अमली गांव में कमार जनजाति के लगभग 300 लोग रहते है। यह गांव 90 कि.मी. दूर पहाड़ो पर बसा है। सड़क से गांव पहुँचने हेतु 12 कि.मी. उड़ीसा होते हुए जाना पड़ता है। राशन लेने के लिए 15 कि.मी. दूर इंदागांव जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चो की शिक्षा ग्रहण कर पाना मुश्किल हैं।[27]

जिले की मैनपुर, छुरा, गरियाबंद, देवभोग में एक–एक छात्रावास प्रीमैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक की है। जब पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। पिछली सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के लिए भी छात्रावास की सुविधा देने की बात कहीं लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं है।[28]

- **<u>कोड़ावरी (बाल वधू विवाह) :–</u>**

यह देवभोग, मैनपुर में पाया जाने वाला एक सामाजिक प्रथा है। जिसे बाल वधु विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह में लड़कियों की शादी मासिक चक्र प्रारंभ होने के पूर्व (12 या 13 के पहले) कर दिया जाता है। इस प्रथा की ऐसी मान्यता है कि शादी के पूर्व मां के घर की हल्दी लग जाये, तो शादी शुभ माना जाता है। तथा मासिक चक्र होने के बाद के विवाह की अच्छा नहीं माना जाता है, व ऐसी महिलाओं को पहले पहाड़ो मे छोड़ दिया जाता था, ऐसी मान्यता है। इस विवाह में दूल्हे बारात लेकर नही आता है सिर्फ कन्या की विवाह होती है। यदि एक घर में 12 वर्ष से कम आयु वाले दो या तीन बालिकाएं है तो सबकी शादी एक साथ कर दिया जाता है।

कोड़ावरी हो जाने के बाद लगभग 20–25 वर्ष पूर्व लड़कियाँ अपने पसंद के लड़के के साथ भाग जाने की समस्या बढ़ गयी थी। शादी पूर्व लड़कियां भाग न जाय इस समस्या को रोकने के लिए कोड़ावरी प्रथा होती है। कोड़ावरी हो जाने के बाद लड़कियां यह सोचती थी कि हमारी तो शादी हो गयी है, हम अपने पसंद के लड़के के साथ शादी कर सकते है। वर्तमान में इस प्रकार की समस्या नही के समान है। कोड़ावरी प्रथा को देवभोग, मैनपुर

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

के लोग अच्छे से मनाते है। 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद उनकी शादी दूल्हे के साथ कर दिया जाता है। यह विवाह उड़ीसा से प्रभावित है।[29]

- **घरेलू हिंसा :–**

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्व अपने घर या किसी शैक्षणिक संस्था में किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से देखे या कुछ गलत किये तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा संरक्षण ले सकते है। घरेलू हिंसा से महिला शिक्षा में बाधक तत्व रूप से 4 प्रकार की हो सकती है।

1. शारीरिक हिंसा – मारना, पीटना, चोट पहुँचना, हत्या
2. मानसिक हिंसा – सास–बहु, पति–पत्नि के मध्य अन्तःकलह, बहुपत्नि विवाह, तलाक
3. लैगिंक हिंसा – बलात्कार, प्राइवेट पार्ट को क्षति
4. आर्थिक हिंसा – दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति

ऐसी स्थिति में पीड़ित बालिका/महिलाएं DRI (Domestic Incident Report) करा सकती है।[30]

सखी वन स्टॉप सेन्टर महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद द्वारा वर्ष 2017 में संचालित है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित बालिकाओं/महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से विधिक सहायता, परामर्श (मनोवैज्ञानिक) सुविधा, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, 5 दिन की वैकल्पिक आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है। यह 24x7संचालित होती है। यह संख्या 181 (महिला हेल्प लाईन) के साथ एकीकृत रूप से कार्य करती है।[43]

- **नशा :–**

''नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका बहुत दुःख दाई।''

उपरोक्त चौपाई से स्पष्ट है कि नशा शरीर को खोखला कर देता है जिसका फल बहुत ही बुरा होता है। व्यक्ति अपना शारीरिक व मानसिक संतुलन खो बैठता है। वर्तमान समय में ये नशा का पैर शैक्षणिक संस्थानो में भी पसर चुका है। समाज नशा को बढ़ावा दे रहा है।

बिलासपुर में चल रहे तंत्रा बार जिसका मैनेजर शोभा पाठक तथा अमिंगोज बार जिसका मैनेजर जितेन्द्र जायसवाल है। ये लोग इन्टाग्राम, सोसल मिडिया में वीडियो पोस्ट करके लड़कियों को बार में फ्री एण्ट्री तथा लड़कों से 2000 रूपये एण्ट्री लिया जाता है। युवतियों व युवकों की भीड़ बढ़ाने के लिए कामोत्तेजक विडियों दोनो बार संचालकों के एकाउण्ट पर डाले जा रहे थे। तकिला शॉट्स देकर नशे को बढ़ावा दिया जा रहा था। एक बार फ्री एण्ट्री देकर इन युवतियों को नशे की आदि बनाकर छोड़ दिया जायेगा। जो आगे कई अपराधों को जन्म देगी।

इसी तरह बिलासपुर के मस्तुरी क्षेत्र में एक लड़की के जन्मदिन पर सहेलियों द्वारा बीयर पार्टी मनाने की खबर आई थी। इस उम्र में नशे को बढ़ावा देकर आगे की भविष्य को अंधकारमय कर रही है।

युवाओं में बढ़ते नशा के लत को खत्म करने और युवाओं को विकास की नई दिशा में ले जाने के लिए जिला प्रशासन, गरियाबंद ने शार्ट फिल्म का निर्माण किया है, फिल्म में धुम्रपान व नशापान से होनेवाले नुकसान को बताकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है।[31]

नशामुक्त भारत करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। नशीली पदार्थो को उपभोक्ता लेवल पर बंद न करके उत्पादन लेवल पर बंद करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. साक्षात्कार, अंशिया, पोड़, दिनांक 07.04.2024

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

2. साक्षात्कार, कश्यप, लिंगराज, सागोनबाड़ी, दिनांक 07.04.2024
3. साक्षात्कार, प्रधान, कल्पना, डूमरबहल, दिनांक 16.01.2024
4. साक्षात्कार, शर्मा, इन्द्राणी, उदन्ती, दिनांक 01.05.2024
5. साक्षात्कार, यादव, ऐश्वर्यवन्ती, इन्द्रागांव दिनांक 10.04.2024
6. साक्षात्कार, प्राचार्य, शा.उ.मा.विद्यालय देवभोग, दिनांक 27.04.2024
7. गुप्ता, एम.एल., समाजशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, पटना, 2012
8. साक्षात्कार, अवस्थी, विभा, रायपुर, दिनांक 05.06.2024
9. साक्षात्कार, सरपंच, ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा, दिनांक 10.05.2022
10. साक्षात्कार, सचिव, ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा, दिनांक 10.05.2022
11. रिपोर्ट जिला मिशन स्रोत समन्वयक, गरियाबंद
12. रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर
13. gariyaband.gov.in
14. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, गरियाबंद
15. वर्मा, राजेन्द्र, जिला गजेटियर रायपुर, 1973 पृष्ठ 54
16. नई शिक्षा नीति 2020
17. cgstate.gov.in
18. cgstate.gov.in/jansamparkdepartment
19. cgstate.gov.in/jansamparkdepartment
20. वर्मा, राजेन्द्र, जिला गजेटियर रायपुर, 1973 पृष्ठ 102
21. दैनिक भास्कर रिपोर्ट, दिनांक 23.09.2024
22. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005
23. कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, 2021
24. कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, 2021
25. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, गरियाबंद
26. भारत की जनगणना, रायपुर, 1971
27. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, गरियाबंद
28. साक्षात्कार, प्रधान, भारती, देवभोग, दिनांक 29.05.2024
29. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005
30. सखी वन स्टॉप सेन्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग, गरियाबंद
31. gariyaband.gov.in

© Copyright @ Authors